(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक झगड़ों के संदर्भ में पी ए सी की भूमिका की समीक्षा करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार प वर्ष 1991 और 31 जुलाई. 1992 तक चालू वर्ष के दौरान बड़े साम्प्रदायिक दगोंका राज्यवार ब्यौरा और जीवन की हानि के बारे में ब्यौरा, प्रत्येक मामले में, नीचे दिया गया है :

	राज्य का नाम	बड़े साम्प्र-दायिक दगों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1991	आन्ध्र प्रदेश	1	5
	बिहार	2	8
	गुजरात	8	39
	मध्य प्रदेश	1	6
	महाराष्ट्र	1	9
	उड़ीसा	2	20
	उत्तर प्रदेश	10	137
	पश्चिम बंगाल	2	18
1992	बिहार	1	3
	गुजरात	2	35
	कर्नाटक	1	11
	केरल	2	7
	महाराष्ट्र	1	2
	उत्तर प्रदेश	2	18
	दिल्ली	1	4

लोक व्यवस्था बनाए रखना संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में शामिल है इसलिए यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए समय-समय पर राज्यों संघ शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं । इनमें साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने और साम्प्रदायिक शांति एवं सद्-भावना बनाए रखने से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं । साथ ही, आवश्यकता होने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्यों को इस उद्देश्य के लिए हथियार, उपकरण; अर्द्ध-सैनिक बल आदि सहायता उपलब्ध कराये जाते हैं । सम्पत्ति की क्षति के बारे में ब्यौरा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा रखा जाता है ।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुछ बटालियनों को त्वरित कार्रवाई बल में परिवर्तित करके एक त्वरित कार्रवाई बल गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं । इस बल का ढांचा मिश्रित होगा और इसकी कमांड संरचना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की मानक बटालियनों से भिन्न होगी । इस बल का प्रयोग साम्प्रदायिक दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियनों को त्वरित कार्रवाई बल की बटालियनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही है और यह बल यथाशीघ्र सक्रिय हो जाएगा ।

(ग) चूंकि पी० ए ०सी०, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है इसलिए इसकी भूमिका की समीक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

Traffic Light Signal Colours in Delhi

2932. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact *[n]at 'he ! recently introduced traffic light sig nal colours by Delhi Traffic Police are hazardous for motorists;(b) whether several motorists in the Capital hav$_e$ made complaints in | this regard;

(c) whether the survey conducted by the Central Road Research Insti- i tute has also revealed that the pre-[viously used traffic light colours were more scientific; and

(d) if so, the reasons for changes in the traffic light colours and by when the previously system would be restored?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB); (a) and (b) No, Sir.

(c) No such survey report has been received by Delhi Traffic Police from the Central Road Research Institute, New Delhi.

(d) Does not arise.

Controversy over possession of land in Buxar

2933. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government of Bihar has made any representation to the Central Government to resolve the controversy over the possession of land in Zuxar district;

(b) if so, whether Government have Jield any ' discussions in this regard with the Governments of Bihar and Uttar Pradesh; and

(e) if so, the outcome thereof and the steps Government have taken so far to resolve the issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(to) and (c) Do not arise.

रैंगिंग को रोकने के लिए इंतजाम

2934. श्री शांति त्यागी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कालेजों में रैंगिंग को रोकने के लिए कोई नए इंतजाम किए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बसों आदि में छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं ;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की घटनाओंको रोकने के लिए निम्नलिखित नवीन उपाय किए गए हैं ;

(i) संवेदनशील स्थानों पर प्रलोभन देने वाली महिला पुलिस को तैनात किया गया है ।

(ii) बस-स्टाप तथा "कैम्पस" में गश्त बढ़ा दी गई है ।

(iii) सड़कों पर बनाई गई निरीक्षण-चौकियों पर तैनात पुलिस बल द्वारा डी.टी.सी. बसों में अचानक निरीक्षण किया जाता है ।

(iv) संवेदनशील बस-स्टापों पर सादे कपड़ों में महिला पुलिस को तैनात किया गया है ।

(v) कालेजों के प्रचायों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।

(vi) विश्वविद्यालय कालेज के निकट पी.सी.आर. वैनड़ी की व्यवस्था की गई है ।